

हुई थीं, स्वयं मंत्रालयों द्वारा भरी गईं। हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी में प्रशिक्षित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि होने से केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के हिन्दी जानने वाले कर्मचारी वर्ग को हिन्दी कार्य की देख-रेख करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और हिन्दी अनुवादकों को केवल वह कार्य करना पड़ता है जिसमें केवल हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का कार्य निहित हो। अतः हिन्दी सहायक का कोई नया पद निर्माण न करने और जब कभी हिन्दी सहायक का कोई पद खाली हो, उसे न भरने का निर्णय किया गया है। प्रत्येक कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित संख्या में हिन्दी अनुवादकों के पदों का निर्माण किया जा सकता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

हिन्दी सहायक शिक्षकों, हिन्दी अनुवादकों आदि के लिये पदोन्नति के अवसर

6563. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या गृह-कार्य मंत्री हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी पर्यवेक्षकों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2899 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे हिन्दी शिक्षक जिनको उनके मंत्रालय द्वारा उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी उनके मंत्रालय अथवा उसके किन्हीं अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे हैं तथा क्या उन्हें हिन्दी सहायकों की तरह विभागीय पदोन्नतियों के अवसर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या 11 फरवरी, 1970 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को देखते हुए पदोन्नतियां इत्यादि के उद्देश्य के लिये शिक्षा मंत्रालय (मुख्य) तथा केन्द्रीय हिन्दी

निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में काम कर रहे हिन्दी सहायकों, हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों तथा विशेष अधिकारियों (हिन्दी) के लिये एक संयुक्त बरिष्ठता सूची तैयार करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उक्त दो अधीनस्थ कार्यालयों के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को दोहरा लाभ दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या-शरण शुक्ल) : (क) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अध्यापकों के नियुक्ति तथा नियंत्रण प्राधिकारी, गृह मंत्रालय के होने के कारण, उनके किसी भी स्थान पर नियुक्त होते हुये वे हिन्दी अधिकारियों और हिन्दी पर्यवेक्षकों के पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्राथम-पत्र भेजने के पात्र समझे गये थे यदि वे उक्त पद के लिए अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते थे।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अगला उच्चतर पद सहायक पर्यवेक्षक का है। भरती नियमों के अनुसार यह पद 50 प्रतिशत सीधी भरती से और 50 प्रतिशत अध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत 225 अध्यापकों के पद और 17 सहायक पर्यवेक्षकों के पद हैं।

(ख) और (ग). दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को जांच विधि-मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा रही है।

Muslim Regimental Organisations in Aligarh Muslim University

6564. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether the Aligarh Muslim Uni-